संख्या-**28/2018/681/12-3-2018-100(61)/12**टी.सी.

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक**,**
उत्तर प्रदेश, **लखनऊ।**

कृषि अनुभाग-**3** लखनऊ: दिनांक: **10** जुलाई**, 2018**

विषय- कृषि विभाग द्वारा ट्रैक्टर चालित यंत्रों को अनुदान पर दिये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-अभि0/1246/प्रस्ताव/2018-19, दिनांक 07.06.2018 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-543/12-3-2017-100(61)/2012टी.सी., दिनांक 26.05.2017, शासनादेश संख्या-1074/12-3-2017-100(61)/2012टी.सी., दिनांक 25.10.2017, शासनादेश संख्या-09/12-3- 2017-100(61)/2012टी.सी., दिनांक 08.01.2018, एवं शासनादेश संख्या-104/12-3- 2018-100(61)/ 2012टी.सी., दिनांक 16.02.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनमें से शासनादेश संख्या-104/12-3-2018-100(61)/2012टी.सी., दिनांक 16.02.2018 में यह व्यवस्था की दी गयी है कि:-

> ''चयनित पंजीकृत कृषकों को ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र पात्रता हेतु उसके परिवार के किसी एक सदस्य यथा- माता/पिता/पति/पत्नी/पुत्र/पुत्र की पत्नी/पुत्री के नाम से ट्रैक्टर की आर0सी0 (आर0टी0ओ0 पंजीयन) होना अनिवार्य होगा तथा उक्त पर यह प्रतिबन्ध रहेगा कि एक आर0सी0 के आधार पर एक ही उपकरण अनुदान पर दिया जा सकेगा एवं इनका इलेक्ट्रानिक रिकार्ड विभाग की वेबसाइट पर रहेगा''।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ट्रैक्टर चालित यंत्रों को पाने के लिए ट्रैक्टर के स्वामित्व की कोई शर्त नहीं रखी गयी है लेकिन राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में इसका समावेश कर दिया गया है। ऐसा करने से प्रदेश के छोटे किसान इन यंत्रों को अनुदान पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तथा यंत्रीकरण के अनुदान का लाभ ज्यादातर बड़े किसानों को ही प्राप्त हो रहा है। इस शर्त को राज्य सरकार की गाइडलाइन से समाप्त कर देने से लघु एवं सीमान्त कृषक ट्रैरक्टर चालित यंत्र प्राप्त कर सकेंगे और किराये पर ट्रैक्टर लेकर अथवा एक दूसरे से साझा करके इसका प्रयोग कर सकेंगे, जिससे प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण का लाभ लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राप्त हो सकेगा। अत: भारत सरकार के द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार ही केन्द्र पोषित योजनाओं तथा अन्य योजनाओं के सभी प्रकार के यंत्रों (ट्रैक्टर चालित यंत्रों को सम्मिलित करते हुए) को वितरित किया जायेगा अर्थात ट्रैक्टर चालित यंत्रों को अनुदान पर प्राप्त करने हेतु ट्रैक्टर के स्वामित्व की अनिवार्यता नहीं होगी।

3- **उपरोक्त शासनादेशों के अन्य प्रस्तर/बिन्दु यथावत् रहेंगे।**

4- **कृपया उपर्युक्त बिन्दुओं के प्रस्तरों में उल्लिखित संशोधित प्रक्रिया एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।**

भवदीय,

(**अमित मोहन प्रसाद**)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-28/2018/681(1)/12-3-18-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, गन्ना विभाग, उ0प्र0 शासन। ।
5- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- प्रमुख सचिव, दुग्ध विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
13- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
14- निजी सचिव, मा0 कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन।
15- ग्राम्य विकास आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
16- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
17- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
18- महानिदेशक, उपकार, उ0प्र0 लखनऊ।
19- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 एग्रो, उ0प्र0 लखनऊ।
20- प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।
21- प्रबंध निदेशक, बीज विकास निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
22- प्रबंध निदेशक, यू.पी. स्टेट एग्रो।
23- निदेशक, बीज प्रमाणीकरण संस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
24- निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
25- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
26- सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को ई-मेल से तत्काल प्रेषित करते हुए इसे कृषि विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाय तथा 02 दिन के पश्चात इस सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर आवश्यक निर्देश दिये जायें।
27 समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
28- समस्त अपर कृषि निदेशक, कृषि भवन, लखनऊ।
29- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उ0प्र0।
30- समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।
31- समस्त उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, उ0प्र0।
32- समस्त जिला कृषि अधिकारी, उ0प्र0।
33- समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उ0प्र0।
34- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in